प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02387/2022-2023

दिनांक 27/03/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/PRA/20450/2022-2023 पत्रावली संख्या:AL-33327 दिनांक:2012-2013

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **मोहम्मद याकूब एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम-शिवगढ़ पो0 शिवगढ़ विन्दागंज, तहसील-रानीगंज, प्रतापगढ़, 230304** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1466/2012-13 दिनांक-11/03/2013 को दिनांक-11/03/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
9BC4528D9A6C1D4DD21716B4109C82B9FC238CBD
Date: 27/03/2023 6:25:15 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-27/03/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AB 000646

Al. 33327

02/04/13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AB 000645

मोहम्मद याकूब [illegible] सोसाइटी

[illegible] Al. 33327

02/04/13

: : स्मृति पत्र : :

1. संस्था का नाम : मोहम्मद याकूब एजुकेशनल सोसाइटी,
2. संस्था का पता : ग्रा0 शिवगढ़ पो0 शिवगढ़ विन्दागंज, तहसील रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :

1. भारतीय जनमानस में हर क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रयास करना एवं सामाजिक, आध्यात्मिक नैतिक, बौद्धिक, ग्रामोद्योगिक उन्नति का प्रयास करना।
2. प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा देने तथा तालीम, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये शिक्षण संस्थाये तथा अरबी, फारसी,उर्दू, हेतु मदरसो का खोलना तथा हिन्दी, संस्कृत, अग्रेजी साइन्स एव सामाजिक विषय के विकास के लिए विद्यालय संचालन करना।
3. शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी विद्यालय से उच्च स्तर तक के विद्यालय हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक/परास्नातक विद्यालय, बालिका विद्यालय खोलना और उसका संचालन करना।
4. छात्रो को मौलाना, आलिम, फाजिल, हाफिज,कारी एव मजहबी शिक्षा प्रदान करना।
5. शिक्षा के विकास हेतु सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता लेकर अग्रेजी माध्यम से स्कूल खोलना तथा उसका संचालन करना।
6. निःशुल्क स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाएं जन साधारण को उपलब्ध कराना। निःशुल्क परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा आदि कार्यक्रमों का संचालन करना तथा जन साधारण में जागरूकता फैलाना, गम्भीर बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर, चेचक, पोलियों, निर्जलन, मलेरिया, चेचक, आदि उन्मूलन के उपायो को राज्य, केन्द्र को सुझाना एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की सहायता करना। इनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना। रक्तदान, नेत्रदान, टीकाकरण तथा नसबंदी शिविरो का निःशुल्क आयोजन प्रशिक्षित डाक्टरों की देखरेख में करना।
7. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रो, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना तथा संचालित करना।
8. सास्कृतिक, लोक कला, सांस्कृतिक एवं खेलकूद का संचालन करना तथा प्रचार–प्रसार करना तथा विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना कृषि शिक्षा आध्यात्मिक, प्रौढ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा आदि के शिक्षण एंव प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना व निःशुल्क सचालन करना
9. वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि करने के लिए जागरूक करना व उनके आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास कर जीवन स्तर में सुधार करना व सरकार द्वारा

मुजाम्मिल हुसैन
मोहम्मद मुस्लीम
Ajmal husain
मोहम्मद हुसैन
रईस अहमद
صابر
محمد اسماعیل
जमील उद्दीन
अ० सलीम

सत्य प्रतिलिपि

किसानो के लिए चलाई जा रही योजनाओ का प्रचार-प्रसार करना तथा सब्जी/फलोत्पादक निःशुल्क प्रशिक्षण, कृषि, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण कार्य करना तथा प्रशिक्षण देना।

10. महिला-पुरूष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण उन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, सतीप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना, शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन आदि।

11. भारतीय परम्परागत चिकित्सा एवं आयुर्वेद को प्रभावशाली बनाने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण इलाको मे निःशुल्क चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित एवं संचालित करना।

12. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क, पंचायती राज, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान-अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

13. आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी, खेल कूद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संचालन।

14. पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन तथा इससे संबन्धित जन जागरण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वन संरक्षण, एवं भूमि संरक्षण संबंधी कार्यो का निष्पादन, वृक्षारोपण आदि।

15. मत्स्य पालन, मधु पालन, कुकुट, जीव जन्तु संरक्षण गोपालन स्थापना करना तथा कृषि व वानिकी ज्वलन्त समस्याओं को जैसे भूमिरक्षण किटो के कुप्रभाव बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना एवं बंजर भूमि पहाड़ी क्षेत्र को समतल कर कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना।

16. एकीकृत ग्राम्य विकास, ग्राम्य तकनीकी विकास, त्वरित ग्राम्य पेयजल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्यक्रमों, बंधुआ मजदूरों का अवमुक्तीकरण एवं पुनर्वास, बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा एवं भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

17. अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसाइटीज एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों व सदस्यों के नाम/ पिता/पति का नाम, पते तथा व्यवसाय, जिनको संस्था के नियमावली के अनुसार संस्था का कार्य भार सौपा गया है।

क्र0 स0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री मुजम्मिल हुसैन पुत्र स्व0 मो0 याकूब	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	अध्यक्ष/सदर	नौकरी
2.	डॉ0 मो0 मुस्तकीम पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	उपाध्यक्ष/ नायब सदर	डाक्टर
3.	श्री अजमल हुसैन पुत्र श्री मुजम्मिल हुसैन	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	प्रबन्धक/ मंत्री सचिव/नाजिम	समाज सेवा
4.	श्री अहमद हुसैन पुत्र स्व0 मो0 याकूब	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	उपप्रबन्धक/ नायब नाजिम/ संयुक्त मंत्री	समाज सेवा
5.	श्री रईस अहमद पुत्र श्री मो0 वसीम	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	कोषाध्यक्ष/ खजांची	समाज सेवा
6.	श्रीमती साबिरा बेगम पत्नी श्री मुजम्मिल हुसैन	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	सदस्य	गृहणी
7.	मो0 इसमाईल पुत्र स्व0 हाजी वाजिद अली	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	सदस्य	समाज सेवा
8.	श्री जमील उद्दीन पुत्र स्व0 मो0 याकूब	ग्रा0 पुरैला, पो0 छितपालगढ़, प्रतापगढ़	सदस्य	समाज सेवा
9.	श्री अब्दुल सलीम पुत्र स्व0 शौकत अली	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	सदस्य	समाज सेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अर्न्तगत एक समिति का गठन किया है। हस्ताक्षर

1.	श्री मुजम्मिल हुसैन	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	मुजम्मिल हुसैन
2.	डॉ0 मो0 मुस्तकीम	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	मोहम्मद मुस्तकीम
3.	श्री अजमल हुसैन	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	Ajmal Husain
4.	श्री अहमद हुसैन	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	अहमद हुसैन
5.	श्री रईस अहमद	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	रईस अहमद
6.	श्रीमती साबिरा बेगम	ग्रा0 सवैया पो0 रानीगंज, प्रतापगढ़	صابرہ
7.	मो0 इसमाईल	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	محمد اسماعیل
8.	श्री जमील उद्दीन	ग्रा0 पुरैला, पो0 छितपालगढ़, प्रतापगढ़	जमील उद्दीन
9.	श्री अब्दुल सलीम	ग्रा0 हठेठी, पो0 मिसिद्दीपुर, प्रतापगढ़	अ० सलीम

दिनांक 7/3/13

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

इलाहाबाद

: : नियमावली : :

1. संस्था का नाम : मोहम्मद याकूब एजुकेशनल सोसाइटी,
2. संस्था का पता : ग्रा0 शिवगढ़ पो0 शिवगढ़ बिन्दागंज, तहसील रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

(अ) आजीवन सदस्य

संस्था को 1,001/रू0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 101/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालो को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर ।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
3. लगातार तीन बैठकों में बिना स्पष्ट कारण अनुपस्थिति रहने पर,
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होगें,

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :

(अ) गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें :

साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक व विशेष बैठको को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही रहेगें।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :

(1) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
(2) वार्षिक आय व्यय–बजट का पारित करना।

मोहम्मद मुस्लीम
Ajmal Husain
अहमद हुसैन
रईस अहमद
محمد اسماعیل
जमील उद्दीन
अ० सलीम

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

(3) नियमों व विनियमों में 3/5 के बहुमत मे सशोधन कार्यवाही करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष/सदर, एक उपाध्यक्ष/नायब सदर, एक प्रबन्धक/मंत्री/नाजिम/सचिव एक उपप्रबन्धक/नायब नाजिम/संयुक्तमंत्री, एक खजांची/ कोषाध्यक्ष, तथा 04 सदस्य इस प्रकार कुल 09 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होंगी।

(ब) बैठके :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैंठकें वर्ष में दो व विशेष बैंठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेगें।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

(1) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
(2) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।
(3) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
(4) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
(5) उप समितियों के उप नियमों को बनाना व पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(ल) कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष/सदर :

(1) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(2) समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
(3) बैंठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
(4) त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

(ब) उपाध्यक्ष/नायब सदर :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य करना।

(स) प्रबन्धक/मंत्री/सचिव/नाजिम:

(1) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
(2) संस्था की ओर से समस्त बिलों, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
(3) संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
(4) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
(5) प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(6) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण करना ,समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

(7) संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।

(8) सभी प्रकार की कार्यवाहियों का संचालन करना व लिपिबद्ध करना।

(9) कर्मचारियो का नियुक्ति, निस्कासन, वेतन वृद्धि करना

(द) उपप्रबन्धक/नायब नाजिम/संयुक्त मंत्री

प्रबन्धक/मंत्री/सचिव/नाजिम की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य करना।

(य) खजांची/कोषाध्यक्षः

(1) वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।

(2) आय–व्यय सम्बन्धी अभिलेखो को लिपिबद्ध करना।

(3) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक, डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन प्रबन्धक/मंत्री/सचिव/नाजिम एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय–व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक/मंत्री/सचिव/नाजिम या उसके द्वारा नामित किये व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्डा रजिस्टर, 4. कैशबुक व लेजर

16. विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

मुजाहिद हुसैन
मोहम्मद मुस्तकीम
Ajmal Husain
अहमद हुसैन
रईस अहमद
محمد اسماعیل
जमील उद्दीन
अ० सलीम

(सत्य प्रतिलिपि)

Ajmal Husain
हस्ताक्षर

दिनाँक 7/3/13

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
02/04/13